न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 87/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. नरेन्द्रसिंह मुतबन्ना गोपालसिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. चान्दी पत्नी गोपीलाल खारोल निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. जगदीशचन्द्र पुत्र उदयलाल जाट निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सुरेन्द्रकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंह राजपुत निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. रतनलाल पुत्र भुरालाल जोशी निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सोहन पुत्र गेना गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. छगु पुत्र हीरा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. शांतिदेवी पत्नी शंकरलाल शर्मा निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. नारायण पुत्र सुरजमल गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. मांगीदेवी पत्नी नारायण गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. ग्राम पंचायत गलवा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. सुनिल बाफना —

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 606 रकबा 0.25 हैक्ट., आराजी संख्या 653 रकबा 1.60 हैक्ट., आराजी संख्या 1350 रकबा 0.11 हैक्ट., आराजी संख्या 1351 रकबा 0.09 हैक्ट., आराजी संख्या 1354 रकबा 0.04 हैक्ट., आराजी संख्या 1355 रकबा 0.07 हैक्ट., आराजी संख्या 1356 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 1357 रकबा 0.33 हैक्ट., आराजी संख्या 1358 रकबा 1.23 हैक्ट., आराजी संख्या 1366 रकबा 0.47 हैक्ट., आराजी संख्या 1369 रकबा 0.20 हैक्ट., आराजी संख्या 1370 रकबा 0.05 हैक्ट., आराजी संख्या 1371 रकबा 0.52 हैक्ट., कुल किता 13 कुल रकबा 5.09 हैक्ट. भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी व विपक्षीगण की आराजियात के मध्य कोई सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन प्रार्थी व विपक्षी के मध्य विवाद रहता हैं। इस हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा कहा कि प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढ़ी करवा ली जावें।

अंतिम बार दिनांक 10.08.2018 को कहा किन्तु विपक्षीगण इस हेतु तैयार नहीं होने से यह आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा ।यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.09.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा के बेरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 606 रकबा 0.25 हैक्ट., आराजी संख्या 653 रकबा 1.60 हैक्ट., आराजी संख्या 1350 रकबा 0.11 हैक्ट., आराजी संख्या 1351 रकबा 0.09 हैक्ट., आराजी संख्या 1354 रकबा 0.04 हैक्ट., आराजी संख्या 1355 रकबा 0.07 हैक्ट., आराजी संख्या 1356 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 1357 रकबा 0.33 हैक्ट., आराजी संख्या 1358 रकबा 1.23 हैक्ट., आराजी संख्या 1366 रकबा 0.47 हैक्ट., आराजी संख्या 1369 रकबा 0.20 हैक्ट., आराजी संख्या 1370 रकबा 0.05 हैक्ट., आराजी संख्या 1371 रकबा 0.52 हैक्ट., कुल किता 13 कुल रकबा 5.09 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 400/– अक्षरे चार सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 2300/– अक्षरे दौ हजार तीन सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा